न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 473/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
ओमाराम पुत्र कुनाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम बम्बोर पोस्ट बम्बोर दर्जियान तहसील एवं जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–10–2015 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2014 अनवान ओमाराम बनाम राजस्थान राज्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोप सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि अपीलांट के नाम की कृषि भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जो ग्राम बम्बोर तहसील जोधपुर मे आई हुई है जिसकी जमाबंदी मे अपीलांट का नाम पूनाराम पुत्र कूनाराम दर्ज है, जो गलत है तथा सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम है अतः उक्त अनुसार संशोधन का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2015 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट ने जमाबंदी, खसरा गिरदावरी जिसमे अपीलांट का नाम पूनाराम पुत्र कुनाराम लिखा हुआ है, जबकि म्युटेशन संख्या 279 जो कि खातेदार कुनाराम पि0 सुखाराम के फोत होने पर उसके वारिसान पुत्रो के नाम

भरा जाकर स्वीकृत हुआ है, जिसमे अपीलांट का नाम ओमाराम पि0 कुनाराम लिखा हुआ है । इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत जालियाली द्वारा पारित प्रमाण पत्र मे अपीलांट का सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम बताया गया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड व आधार कार्ड मे भी अपीलांट का नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम लिखा हुआ होने पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नाम शुद्धि का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे कानूनीया भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब नामांतरकरण संख्या 279 मे अपीलांट का सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम दर्ज हो गया तो अन्य राजस्व रेकर्ड मे भी सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था क्योकि एक ही व्यक्ति के अलग–अलग नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही रखा जा सकता है तथा इसप्रकार की त्रुटि सुधार करने की शक्तियां अधीनस्थ न्यायालय को होते हुए अपीलांट का नाम दुरस्ती बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2015 को निरस्त कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि जब अपीलांट का नाम म्युटेशन संख्या 279 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुका है तो पृथक से किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । ग्राम बम्बोर तहसील जोधपुर की कृषि भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय के पूर्व खातेदारान दुलेसिह पुत्र मगनसिह 1/3, धोकलसिह पुत्र भीकसिह 1/3 तथा हुकमसिह पुत्र हीरसिह 1/3 जाति पुरोहित वगैरा ने अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कुनाराम पुत्र सुखाराम कुम्हार एवं ढलाराम पुत्र कुनाराम, बाबुलाल पुत्र कुनाराम एवं उमाराम (वर्तमान अपीलांट ओमाराम) पुत्र कुनाराम के पक्ष मे दिनांक 27–6–74 को किया जाने पर उक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड मे कुनाराम पि0 सुखाराम, दलाराम, बाबूराम, पूनाराम पि0 कुनाराम जाति कुम्हार के नाम से दर्ज हुई, जो जमाबंदी संवत 2059–62 से स्पष्ट है । उक्त भूमि के खातेदार कुनाराम के फोत होने पर उक्त

भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 279 उसके विधिक वारिसान मे 3 पुत्रो ढलाराम, बाबुराम, ओमाराम पि0 कुनाराम तथा नथीदेवी, सायरीदेवी पुत्रियां कुनाराम शेष खाता बदस्तूर का स्वीकृत हुआ । परंतु बेचाननामे के आधार पर अपीलांट ओमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे सहवन से पूनाराम पुत्र कुनाराम चला आ रहा था जिसको सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अपने सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम होने की पुष्टि स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 279 जो कि खातेदार कुनाराम पि0 सुखाराम के फोत होने पर उसके वारिसान पुत्रो के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ है, जिसमे अपीलांट का नाम ओमाराम पि0 कुनाराम लिखा हुआ है । इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत जालियाली द्वारा पारित प्रमाण पत्र मे अपीलांट का सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम बताया गया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड व आधार कार्ड मे भी अपीलांट का नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम लिखा होने के दस्तावेजात पेश किये तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे दो बेचान दस्तावेजात भी पेश किये जिसके द्वारा उक्त भूमि अपीलांट के पिता एवं उसके भाईयो के खाते मे दर्ज हुई । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2059–2062, खसरा गिरदावरी संवत 2067–70 आदि भी प्रस्तुत किये जिसमे अपीलांट का गलत नाम पूनाराम पुत्र कुनाराम लिखा हुआ होने से उक्त त्रुटि को दुरस्त कर सही नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम करने का निवेदन किया, जो उपरोक्त दस्तावेजो के अवलोकन से अपीलाट के नाम मे त्रुटि होना स्पष्ट प्रकट होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज करने बाबत पारित आदेश समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब अपीलांट के पिता कुनाराम के फोत होने पर उसके वारिसान के रूप मे जो म्युटेशन संख्या 279 विरासत का स्वीकृत हुआ है उसमे भी अपीलांट का नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम है तथा अपीलांट का नाम ओमाराम पुत्र कुनाराम होने की पुष्टि स्वरूप रेकर्ड पर सरकारी दस्तावेज उपलब्ध थे तो उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत नाम दुरस्ती के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सही नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, जो समर्थन योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2015 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध

उपरोक्त दस्तावेजात एवं बेचाननामे आदि का अवलोकन कर उसके अनुरूप अपीलांट के धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर